न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री अंशुल आमेरिया(आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 333/2011 राजस्व वाद

उनवान

1 जेराम पिता देवी भील उम्र वयस्क निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा.राज.
2 नानू पिता देवी भील उम्र वयस्क निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा .राज.
3 मु.नन्दू पुत्री देवी भील उम्र वयस्क निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा. राज.—(डिलीट)

————————वादीगण

बनाम

1 पारस कुमार पिता हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 सम्पतलाल पिता हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3 महावीर पिता हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4 श्रीमती लाडदेवी पुत्री हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5 श्रीमती मधुदेवी पुत्री हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6 श्रीमती प्रेमबाई बैवा हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
7 भूमिधारी तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

————————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —
1 श्री भैरूलाल बापना (अधिवक्ता वादीगण)
2 श्री गणेश जोशी (अधिवक्ता प्रतिवादी 01 लगायत 06

—::निर्णय::—

दिनांक — 10.03.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद पत्र खातेदारी अधिकार की आराजीयात जो कि ग्राम नाथडियास पटवार हल्का क्षेत्र बिलियाकलां तहसील हमीरगढ में स्थित है। सर्वप्रथम साबिक आराजी संख्या 301 रकबा 1.16 बीघा भूमि वादीगण के दादा श्री रूपा पिता कालू भील के हक आधिपत्य में थी। श्री रूपा भील का देहान्त कई वर्षो पूर्व हो गया था, एवं वादीगण उनके विधिक वारिसान जायदाद है। साबिक आराजी संख्या 301 पूर्व दिशा में चौडी होकर नाले को छू रही है एवं पश्चिम दिशा में यह आराजी सकडी होकर साबिक आराजी संख्या 300 व 302 की पश्चिमी सीमा की सीध तक फैली हुई है। साबिक आराजी संख्या 302 रकबा 11.08 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री गोबालाल पिता कजोडीमल महाजन निवासी पुर के नाम पर दर्ज राजस्व अभिलेख थी, यह आराजीयात उत्तरी भुजा पूर्व से पश्चिम तक पूरी लम्बाई में साबिक आराजी संख्या 301 की दक्षिणी भुजा से छूती है।

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:56:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

पैमाईश पश्चात साबिक खसरा संख्या 301 का नवीन खसरा 323 रकबा 1.00 बीघा कायम किया गया, जबकि जरीब की लम्बाई के अन्तर से पैमाईश कार्यवाही में इस नवीन आराजी संख्या 323 का रकबा 01.11 बीघा दर्ज होना चाहिये था। इस प्रकार सेटलमेन्ट कार्यवाही में 0.11 बिस्वा रकबा भूलवश वादीगण के हिस्से में कम दर्ज हुआ। वादीगण के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 323 की पश्चिमी तरफ का 0.11 बिस्वा रकबा/भू–भाग प्रतिवादीगण की हाल आराजी संख्या 324 में समायत कर दिया गया। जो साबिक एवं वर्तमान राजस्व नक्शे के तुल्नात्मक अध्ययन से दर्शित है। साबिक नक्शा ट्रेस में साबिक आराजी संख्या 302 व 300 के मध्य वादीगण की साबिक आराजी संख्या 301 का रकबा आया हुआ था किन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में हाल खसरा 324 के उत्तरी भाग में डोटेड लाईन डालकर इसकी उत्तरी भुजा को हाल आराजी संख्या 319 से 321 दक्षिणी भुजा तक विस्तारित कर दिया गया है। साबिक नक्शा ट्रेस में वादीगण की साबिक आराजी संख्या 301 का पश्चिमी दिशा भाग लम्बाई में साबिक आराजी संख्या 302 की उत्तरी भुजा के पश्चिमी बिन्दु तक फैला हुआ था किन्तु नवीन नक्शा ट्रेस में हाल आराजी संख्या 323 की आकृति को अत्यधिक छोटा कर सीमित कर कर दिया व इसकी आकृति को आराजी संख्या 323 की पश्चिमी भुजा की सीध तक, इसके पश्चिमी तरफ का 11 बिस्वा भू–भाग हाल आराजी संख्या 323 के उत्तरी भाग में मिला दिया गया।

इस प्रकार प्रतिवादीगण की हाल आराजी संख्या 324 के उत्तरी भाग में डोटेड लाईन डालकर वादीगण की हाल आराजी संख्या 323 का पश्चिमी तरफ का 11 बिस्वा रकबा/भूभाग वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं राजस्व जमाबन्दी में सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश/दोषयुक्त मिला दिया, उस 11 बिस्वा रकबे को प्रतिवादीगण के खसरा संख्या 324 में से कम किया जाकर वादीगण की आराजी संख्या 323 में सम्मिलित करा रकबे को 1–11 बीघा बढाते हुए, वादीगण को आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अर्थात खसरा संख्या 324 में अंकित की गई डोटेड लाईन को विलोपित कर, वर्तमान नक्शा ट्रेस में हाल आराजी संख्या 323 के रकबे को खसरा संख्या 324 की उत्तरी भुजा के पश्चिमी बिन्दु तक विस्तारित किया जावें, इस आशय की नक्शा तरमीम कर, घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावें। तथा साथ ही उक्त आराजीयात पर विपक्षीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 02.11.2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन/नोटीस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इसी दौरान वादीगण पक्ष द्वारा वादी संख्या 03 के निधन हो जाने के कारण उनके कायम मुकाम पहले से रिकार्ड पर होने का कथन रखते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर, वादी संख्या 03 का नाम टाईटल से डिलीट किये जाने का अनुरोध किया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. बाद अध्ययन/परीक्षण मंजूर किया गया, एवं वादी संख्या 03 का नाम लाल स्याही से डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित तामील के बावजूद नियत सुनवाई पर कोई विधिक प्रतिनिधी अपना पक्ष रखने हाजिर नही होने से विरूद्ध प्रतिवादीगण एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:56:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला–भीलवाड़ा

तत्पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र धारा आदेश 09 नियम 07 जा.दी. को बाद विचारण, गुणावगुण के आधार पर मंजूर किया गया। विपक्षी क्रम 01 लगायत 06 की और अधिवक्ता श्री गणेश जोशी द्वारा वकालतनामा एवं जवाबदावा प्रस्तुत होकर रिकार्ड उपलब्ध है। विपक्षीगण का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण मे 04 तनकियात कायम की गई। खण्डन स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाबदावे के के माध्यम से निवेदन किया गया कि वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण की साबिक आराजी संख्या 302 से मिली/सटी हुई नही है, यह राजस्व अभिलेखों से स्पष्ट है। प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री गोवालाल एवं कजोडी मल के नाम पर दर्ज साबिक आराजी संख्या 302 रकबा 11.08 बीघा भूमि पर शूरूवात से ही अनवरत रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने केवल मात्र प्रतिवादीगण के हक आधिपत्य की भूमि को गलत तरीके से मन मक्सूद तौर पर हडपने की नीयत से यह झूठा वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो सव्यय काबिले निरस्तगी है।

बाद तनकियात कायमी वादीगण पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। वादी पक्ष द्वारा गवाह बतौर श्री जेराम पिता देवी भील व स्वतंत्र साक्ष्य के तौर पर श्री किशन पिता रूपा गुर्जर द्वारा शहादत्त में शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिशल किये गये। सुनवाई पर मौजूद गवाहान वादी पक्ष से जिरह कार्यवाही संपादित की गई। तत्श्चात प्रतिवादीगण की ओर से गवाह श्री महावीर कुमार पिता हीरालाल महाजन निवासी पुर के प्रस्तुत डी.डब्ल्यू. पर जिरह कार्यवाही की जाकर बयानात कलमबद्ध किये गये, एवं प्रकरण को बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया। उभयपक्षों द्वारा अपनी अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिन्हे रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण मे 04 तनकियात कायम होकर बाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

तनकि संख्या 01 ! "'आया वादीगण की साबिक आराजी संख्या 301 रकबा 1.16 बीघा का नवीन बन्दोबस्त में आराजी संख्या 323 का रकबा 1.00 बीघा ही दर्ज किया गया, 11 बिस्वा कर दर्ज किया गया है। वादीगण आराजी संख्या 323 का रकबा 1.00 बीघा के स्थान पर 1.11 बीघा अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है।"'

बा–जिम्मे वादी

तनकी संख्या 02! "आया प्रतिवादीगण की साबिक आराजी संख्या 302 रकबा 11.08 बीघा का नवीन बन्दोबस्त में नवीन आराजी संख्या 324 का रकबा 9.14 बीघा के स्थान पर 10.05 बीघा रकबा दर्ज कर दिया जो 11 बिस्वा अधिक दर्ज कर दिया। वादीगण आराजी संख्या 324 में से उत्तरी तरफ के 11 बिस्वा रकबे को कम करा कर अपनी आराजी संख्या 323 में मिलाने के अधिकारी है और वादीगण के आराजी संख्या 323 का रकबा 1.11 बीघा दर्ज होना चाहिए ?"

बा–जिम्मे वादी

तनकी संख्या 01 व 02 को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण के जिम्मे रखा गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये आवश्यक साबिक राजस्व अभिलेख/दस्तावेजात से सिद्ध होता है कि वादी के पिता रूपा भील के खाते में साबिक बन्दोबस्त में आराजी संख्या 301 रकबा 1.16 बीघा भूमि दर्ज थी। जरीब में अन्तर होने से साबिक रकबा 1.16 बीघा का नवीन बन्दोबस्त में वह रकबा 1.11 बीघा बनता है।

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:56:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला–भीलवाड़ा

परन्तु 11 बिस्वा रकबे को कम दर्ज कर वादीगण के हिस्से में केवल 1.00 बीघा ही दर्ज किया गया। जिसकी ताईद प्रदर्श अंकन 1 लगायत 8 से होती है। साबिक एवं हाल राजस्व नक्शा ट्रेस के तुल्नात्मक परीक्षण से भी यह स्पष्ट हुआ है कि वादीगण की हाल आराजी संख्या 323 का पश्चिमी तरफ का 11 बिस्वा रकबा प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 324 में सम्मिलित कर दिया गया था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर संपादित बयानो एवं प्रदर्श दस्तावेजात अवलोकन/परीक्षण करने के पश्चात तनकी संख्या 01, 02 ब–हक वादीगण के निर्णित की जाती हैं।

तनकि संख्या 03 ! "'आया धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिये बिना ही वादपत्र पैश कर दिया गया है जो कारण वाद के अभाव में दावा चलने योग्य नही है ?"'

बा–जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 04! "आया प्रतिवादपत्र की धारा 03 में वर्णित तथ्यो के अनुसार वाद चलने योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है ?"

बा–जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 03 व 04 को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा गया। प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में यह कहीं भी नही बताया कि दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना किस प्रकार आज्ञाकारी प्रावधान है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में राज्य पक्ष के हितों के विपरीत कोई भी अनुतोष नही चाहा है, और न ही इस दावे के माध्यम से बिलानाम भूमि प्रभावित हो रही है। एवं तनकी संख्या 04 को भी प्रतिवादी पक्ष सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है। वादी के पिता रूपा भील के खाते में साबिक बन्दोबस्त में आराजी संख्या 301 रकबा 1.16 बीघा भूमि दर्ज थी। इसके खण्डन स्वरूप प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई तर्क अपनी बहस में अथवा ऐसा कोई दस्तावेजात अपनी शहादत में प्रस्तुत नही कराया है, जिससे यह साबित हो सके कि वादीगण के पिता रूपा भील के खाते में पैमाईश पूर्व भी 1.00 बीघा रकबा दर्ज था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर संपादित बयानो एवं प्रदर्श दस्तावेजात अवलोकन/परीक्षण करने के पश्चात तनकी संख्या 03, 04 ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती हैं।

यहा यह उल्लेख करना सम्यक होगा कि वादी ने अपने वादपत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि साबिक नक्शा ट्रेस में वादीगण की साबिक आराजी संख्या 301 का पश्चिमी दिशा का भाग लम्बाई में साबिक आराजी संख्या 302 की उत्तरी भुजा के पश्चिमी बिन्दु तक फैला हुआ था किन्तु नवीन नक्शा ट्रेस में हाल आराजी संख्या 323 की आकृति को अत्यधिक छोटा कर सीमित कर कर दिया व इसकी आकृति को आराजी संख्या 323 की पश्चिमी भुजा की सीध तक, इसके पश्चिमी तरफ का 11 बिस्वा भू–भाग हाल आराजी संख्या 323 के उत्तरी भाग में मिला दिया गया।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र के माध्यम से वादी द्वारा चाही गई दाद यदि वादी को दी जाती है तो उस दशा में आराजी संख्या 323 का अवशेष वांछित हिस्सा प्रतिवादीगण के खातेदारी हक हिस्से से अभिलिखित किया जाना होगा, जिस प्रकार वादी उनके जिम्मे कायम की गई प्रत्येक तनकीयात को सिद्ध/प्रमाणित कराने सफल रहें है। उसी आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर वादी का हक आधिपत्य निर्धारित किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:56:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला–भीलवाड़ा

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे प्रस्तुत शपथपत्र तथा साक्ष्य वादी के प्रस्तुत शपथपत्र, वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन से प्रकरण में कायम तनकियात बाद विषलेशण वादी के पक्ष में निर्णित होने से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात वादी का वादपत्र ब–हक वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 स्वीकार किये जाने से ग्राम नाथडियास पटवार हल्का क्षेत्र बिलियाकलां तहसील हमीरगढ में स्थित प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 324 रकबा 10.05 बीघा भूमि में से 0–11 बीघा रकबा कम करते हुए, वादीगण की आराजी संख्या 323 में समाहित करा, पूर्व रकबा 1–00 बीघा के बजाय 1–11 बीघा भूमि पर वादीगण का हक आधिपत्य निर्धारित कर, वादीगण को आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। अर्थात खसरा संख्या 324 में अंकित की गई डोटेड लाईन को विलोपित कर, वर्तमान नक्शा ट्रेस में हाल आराजी संख्या 323 के रकबे को खसरा संख्या 324 की उत्तरी भुजा के पश्चिमी बिन्दु तक विस्तारित किया जावें, तद्नुसार नक्शा तरमीम कर, दुरूस्तिकरण/घोषणात्मक डिक्री पारित की जाती है। तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है। डिक्री की प्रति तहसीलदार हमीरगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार हमीरगढ मुताबिक डिक्री राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अशुंल आमेरिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:56:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ जिला भीलवाड़ा.राज.

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 333 / 2011 राजस्व वाद

अनवान

1 जेराम पिता देवी भील उम्र वयस्क निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा.राज.
2 नानू पिता देवी भील उम्र वयस्क निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा .राज.
3 मु.नन्दू पुत्री देवी भील उम्र वयस्क निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा.राज.
–(डिलीट)

————वादीगण

बनाम

1 पारस कुमार पिता हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 सम्पतलाल पिता हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3 महावीर पिता हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4 श्रीमती लाडदेवी पुत्री हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
5 श्रीमती मधुदेवी पुत्री हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
6 श्रीमती प्रेमबाई बैवा हीरालाल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा.राज.
7 भूमिधारी तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

————प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:56:00 IST
Reason: SelfAttested